

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 296]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 14 जून 2008—ज्येष्ठ 24, शक 1930

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 जून 2008
आदेश

क्र. एफ-1-10-08-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 14 जून 2008 से रीवा संभाग की सीमाएं, उसमें से सम्पूर्ण शहडोल, अनूपपुर तथा उमरिया जिलों को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है तथा उक्त दिनांक से जबलपुर संभाग की सीमाएं उसमें से सम्पूर्ण जिला डिण्डोरी को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है, और उक्त दिनांक से सम्पूर्ण शहडोल, अनूपपुर, उमरिया तथा डिण्डोरी जिलों को समाविष्ट करते हुए नवीन शहडोल संभाग का सृजन करती है. उक्त संभाग का मुख्यालय शहडोल में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2008

क्र. एफ-1-10-08-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश
क्र. एफ-1-10-08-सात-शा. 6, दिनांक 7 जून 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, उपसचिव.

Bhopal, the 7th June 2008

ORDER

No. F-1-10-VII-08-S.6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Rewa, Division with effect from the 14th June 2008 by excluding therefrom the whole of Shahdol, Anuppur and Umaria Districts and alter the limits of Jabalpur Division with effect from the said date by excluding therefrom the whole of Dindori District and create a New Division Shahdol comprising of the whole of Shahdol, Anuppur, Umaria and Dindori Districts with effect from the said date. The headquarter of the said Division shall be at Shahdol.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. P. RAHI, Dy. Secy.

591

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.